संख्या-18/2021/157748/12-5099/5/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ::दिनांक 16 मार्च, 2021**

विषय:- कृषि कर्मण पुरस्कार की उपलब्ध धनराशि से कृषि निदेशालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों/अधिकारियों के छोटे बच्चों की देखभाल हेतु क्रेच निर्माण की सहमति प्रदान किये जाने **के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक आपके **पत्र संख्या-अभि0-2490/2020-21, दिनांक 04 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या-अभि0-08/निर्माण/2020-21, दिनांक 08 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि** भारत सरकार से प्राप्त कृषि कर्मण पुरस्कार की उपलब्ध धनराशि में से रू.19.98 लाख (रूपया उन्नीस लाख अट्ठानबें हजार) मात्र की धनराशि से कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत महिला कर्मचारियों/अधिकारियों के छोटे बच्चों की देखभाल हेतु क्रेच निर्माण की सैद्धान्तिक सहमति/अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित "राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति" के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-18/2021/157748/12-5099/5/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0), कृषि भवन, लखनऊ**
3- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।